95156

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

Rs 20000 रु

INDIA NON JUDICIAL

Rs 20000 रु

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

308621

विक्रय–पत्र

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

1.	भूमि का प्रकार	:	कृषि
2.	परगना	:	बिजनौर
3.	ग्राम	:	बटौना
4.	सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं0)	:	भूमि खसरा संख्या–934,465स
5.	मापन की इकाई	:	हेक्टेअर
6.	विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल	:	0.393 हेक्टेअर
7.	सम्पत्ति का प्रकार	:	कृषि

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES 20000 रुपये

Rs 20000 रु. INDIA NON JUDICIAL Rs 20000 रु.

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 308622

8.	पेड़ों का मूल्यांकन	:	कोई पेड़ नहीं
9.	बोरिंग/कुआं/अन्य	:	नहीं
10.	प्रतिफल की धनराशि	:	रू0 3,88,284/-
11.	मालियत	:	रू0 4,32,300/-
12.	स्टाम्प	:	रू0 43,300/-

चौहद्दी

खसरा न0 934

पूरब	: खसरा संख्या-933, 932
पश्चिम	: खसरा संख्या-478
उत्तर	: खसरा संख्या-935
दक्षिण	: खसरा संख्या-932, 933

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 612895

<u>खसरा न0 465</u>

पूरब : खसरा संख्या-444

पश्चिम : खसरा संख्या-464

उत्तर : खसरा संख्या-447

दक्षिण : खसरा संख्या-466, 468

प्रथम पक्ष की संख्या-01 द्वितीय पक्ष की संख्या-01

विक्रेता का विवरण	:	क्रेता का विवरण
श्रीकृष्ण पुत्र लाला, निवासी-ग्राम-बरौना, परगना- बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ। व्यवसाय --कृषि		शिव विशाल पुत्र श्री शिवराम, निवासी- मिर्जापुर, मिटारी, पोस्ट-नवगांव, जिला-फतेहपुर, उ0प्र0। व्यवसाय-कृषि

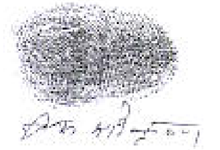

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH A 612896

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख श्रीकृष्ण पुत्र लाला, निवासी–ग्राम–बरौना, परगना– बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ जिन्हे आगे विक्रेता कहा गया है, एवम् शिव विशाल पुत्र श्री शिवराम, निवासी–मिर्जापुर, मिटारी, पोस्ट–नवगांव, जिला–फतेहपुर, उ0प्र0 जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 612897

यह कि विक्रेता कृषि भूमि खसरा संख्या–934 रकबा 0.5840 हेक्टेअर व खसरा संख्या–465अ रकबा 0.2020 हेक्टेअर कुल दो किता व कुल रकबा 0.7860 हेक्टेअर में से अपना हिस्सा यानि रकबा 0.393 हेक्टेअर, स्थित ग्राम बरौना, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ का मालिक कामिल व काबिज है जो विक्रेता की सम्पत्ति है तथा उपरोक्त सत्यापित षटवार्षिक खाता खतौनी क्रम संख्या–00430 के अनुसार कृषि भूमि विक्रेता के नाम अमल दरामद हो चुका। उक्त आराजी आज विक्रेता के कब्जे

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 712579

व दखल मालिकाना में मौजूद है और जो कहीं विक्रय, हिबा, ऋणभार, कुर्की, व जमानत आदि से ग्रसित नहीं है, उक्त आराजी में किसी अन्य व्यक्ति का कोई स्वामित्व एंव अधिकार नहीं है और न ही कोई व्यक्ति भागीदार है, अब बजरूरत खुद विक्रेता के उसी आराजी रकबा उपरोक्त को पूर्ण स्वामित्व एवं अधिकारों सहित बिना छोड़े किसी चीज व हक के खूब सोंच व समझकर बिना किसी दबाव के, बएवज मुबलिग रू0 3,88,284/- (रुपया तीन लाख अट्ठासी हजार दो सौ चौरासी मात्र) में शिव विशाल पुत्र

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 712580

श्री शिवराम, निवासी– मिर्जापुर, भिटारी, पोस्ट–नवगांव, जिला–फतेहपुर, उ0प्र0 के बय कतई किया, और कुल विक्रय धनराशि कब्ल तहरीर दस्तावेज हाजा क्रेता उपरोक्त से नीचे दिये गये विवरण के अनुसार प्राप्त करके कब्जा व दखल मालिकाना आराजी बयशुदा पर आज की तारीख से क्रेता उपरोक्त का बाकई बखूबी करा दिया, अब विक्रेता व वारिसान विक्रेता को कोई हक व दावा निस्बत आराजी बयशुदा व विक्रय धनराशि के क्रेता से बाकी नहीं रहा, अगर कोई शख्स दावा करे तो वह बिल्कुल

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 712581

नाजायज होवे, और अगर आराजी बयशुदा पूर्ण अथवा उसका कोई अंश क्रेता के स्वामित्व एवं अधिकारों से निकल जावे या कब्जा न मिले या कहीं विक्रय, हिबा, ऋणभार, कुर्की व जमानत आदि से ग्रसित पायी जाती है तो ऐसी स्थिति में क्रेता को अधिकार होगा कि वह अपना कुल विक्रय धनराशि मय हर्जा–खर्चा व नुकसान के सब विक्रेता व वारिसान विक्रेता से व विक्रेता की अन्य सम्पत्ति चल व अचल से जरिये न्यायालय प्राप्त

कर लेवें, इसमें विक्रेता व वारिसान विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

अब क्रेता उपरोक्त को पूरा अधिकार है कि वह विक्रीत आराजी के सम्बन्ध में समस्त सरकारी अभिलेखों में अपने नाम दाखिल-खारिज करा लेवें ।

आराजी उपरोक्त में खेती होती है, आराजी उपरोक्त में पेड़, ट्यूबवेल, कुआं व इमारत आदि नहीं है। आराजी उपरोक्त के 200 मीटर त्रिज्या में कोई निर्माण आदि नही है।

आराजी उपरोक्त किसी लिंक मार्ग जनपदीय मार्ग व राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नहीं है।

आराजी स्थित ग्राम बरौना, परगना- बिजनौर के अर्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अन्तर्गत आता है जो नगर निगम सीमा के बाहर स्थित है जिसकी कृषि भूमि की बाजारू कीमत 11,00,000/- रुपया प्रति हेक्टेअर की दर से निर्धारित है जिसके अनुसार विक्रीत भूमि रकबा 0.393 हेक्टेअर की मालियत रु0 4,32,300/- होती है जो कि विक्रय मूल्य से अधिक है, अतः नियमानुसार मालियत पर जनरल स्टाम्प शुल्क 43,300/- के अदा किये जा रहे है।

उपरोक्त आराजी मुख्य मार्ग सुलतानपुर रोड से 1 किमी0 से अधिक दूरी पर स्थित है।

विक्रेता व क्रेता दोनो ही अनुसूचित जाति के सदस्य है। उक्त आराजी किसी योजना व किसी सरकारी व अर्ध सरकारी संस्था द्वारा अधिगृहीत नहीं है।

<u>विवरण भुगतान</u>

विक्रेता को रू0 3,88,284/- (रूपया तीन लाख अट्ठासी हजार दो सौ चौरासी मात्र) द्वारा चेक संख्या- 568990 दिनांकित 16.05.2007 पंजाब नेशनल बैंक, शाखा हजरतगंज,लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रू0 3,88,284/- (रूपया तीन लाख अट्ठासी हजार दो सौ चौरासी मात्र) विक्रेता ने क्रेता से वसूल पाया।

लिहाजा यह दस्तावेज विक्रेता ने अपनी खुशी व रजामन्दी से खूब सोंच व समझकर बिना किसी दबाव के, क्रेता उपरोक्त के पक्ष मे लिख दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवें।

अतः आज उभय पक्षों ने इस विक्रय विलेख पर अपने–अपने हस्ताक्षर करके इसे निष्पादित किया।

<u>नोट</u> : पृष्ठ संख्या–10 पर चेक संख्या पेन से लिखा है।

दिनांक: 16.05.2007

लखनऊ

गवाहान:–

1.

विक्रेता

2. Pratap Verma

Sri Hanuman Prasad

टाईपकर्ता:

(राम सनेही)

सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ता:

(सैय्यद अन्जर हुसैन)

एडवोकेट

विक्रय पत्र

[illegible] 433,000.00

प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग
		5,000.00	40	5,040.00	2,000

श्री/श्रीमती : श्रीकृष्ण

पुत्र/पत्नी श्री लाला

पेशा कृषि

निवासी स्थायी : करौना लखनऊ

अस्थायी पता

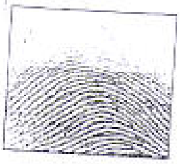

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 16/5/2007 समय 5:56PM

बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

के.के. शुक्ला

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

16/5/2007

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

श्री/श्रीमती श्रीकृष्ण

पुत्र/पत्नी श्री लाला

पेशा कृषि

निवासी करौना लखनऊ

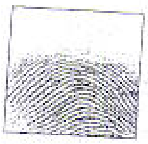

क्रेता

श्री/श्रीमती विशाल

पुत्र/पत्नी श्री शिवराम

पेशा व्यापार

निवासी मिर्जापुर मिटारी फतेहपुर

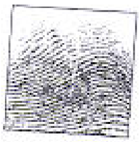

ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री सुनील कुमार सिन्हा

पुत्र श्री श्री.वी. सिन्हा

पेशा व्यापार

निवासी आर्यानगर लखनऊ

व श्री प्रताप वर्मा

पुत्र श्री हनुमान प्रसाद

पेशा व्यापार

निवासी गोलागंज लखनऊ

ने की।

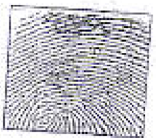

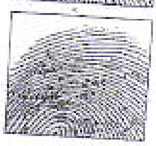

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

के.के. शुक्ला

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

16/5/2007

रजिस्ट्रेशन अधि0 1908 की धारा - 32 ए0 के अनुपालन हेतु,
फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता नाम व पता :- ....

....

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

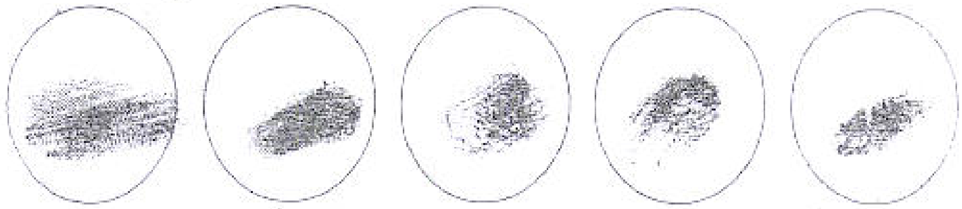

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता / क्रेता नाम व पता :-

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

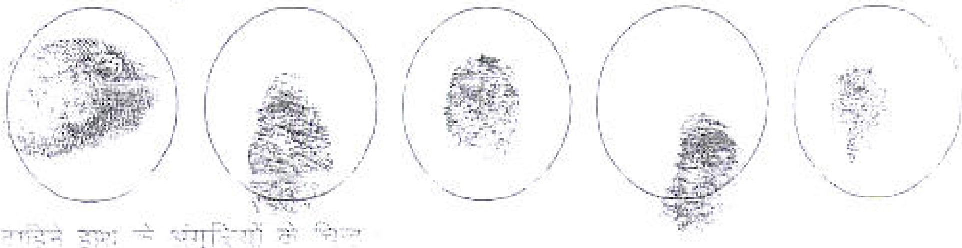

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

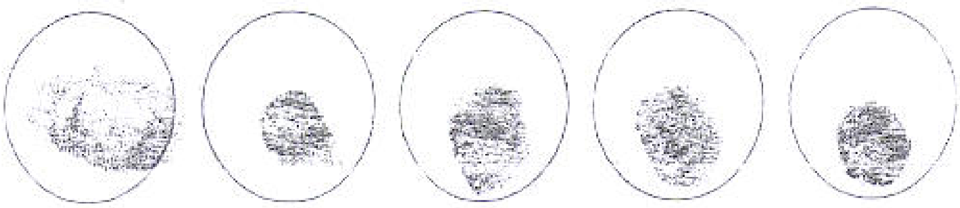

विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

[illegible]

खेसरा नं० - ९३५

[illegible]

[illegible]

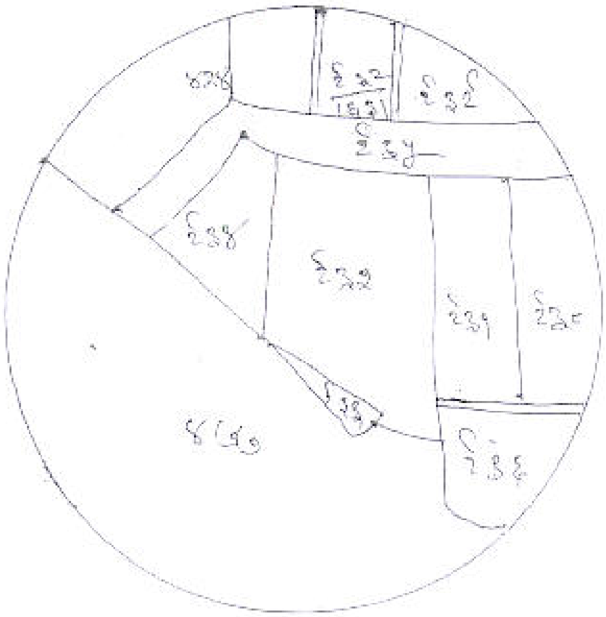

क्रेता

Registration No. 4833 Year : 2007 Book No. 1

0201 विशाल

शिवराम

निवासी बिलारी फतेहपुर

व्यापार

आज दिनांक 16/05/2007 को

बही सं 1 जिल्द सं 8336

पृष्ठ सं 211 से 238 पर क्रमांक 4833

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

के.के.शुक्ला

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

16/5/2007